डेयरी विकास एवं विस्तार कार्यक्रम (आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना)

प्रदेश में 11वीं पंचर्षीय योजनान्तर्गत राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं के तहत आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का क्रियान्वयन एमपी स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन व इस से संबंद्ध 5 क्षेत्रीय दुग्ध संघ द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

उद्देश्य	ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब किसानों एवं निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सामान्य वर्ग की निर्धन महिलाओं को दो गाय अनुदान एवं ऋण पर प्रदाय करना।
पात्रता	o 10 महिलाओं के समूह को इस योजना का लाभ दिया जाएगा । o समूह के प्रत्येक महिला के परिवार की समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रू. 90,000/– प्रतिवर्ष से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। o समूह के प्रत्येक महिला के परिवार के पास कम से कम एक एकड़ तथा अधिकतम 10 एकड़ भूमि होना चाहिए।
हितग्राही	सभी वर्ग की महिला पशुपालक
पशु लागत	देशी – अधिकतम रू. 36,750/– क्रासब्रीड – अधिकतम रू. 61,450/– भैंस – अधिकतम रू. 70,150/–
अनुदान	योजनान्तर्गत सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हितग्राही को 33.33 प्रतिशत अनुदान

वित्तीय परिदृश्य

हितग्राही का न्यूनतम अंशदान	रू. 5,000
अनुदान	उपरोक्तानुसार
शेष	राष्ट्रीय महिला कोष / बैंक / दुग्ध संघ अथवा स्वयं के स्त्रोतों से

योजना अंतर्गत प्रगति

- योजना अंतर्गत प्रारंभ से 31 मार्च 2015 तक 10,000 महिला हितग्राहियों को 18,964 दुधारू पशु उपलब्ध कराए गए हैं।